कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन 'ख' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431 E-Mail-eicpwduk @ nic.in Web- http:/govt.ua.nic.in/pwd

पत्रांकः– 101 / 01 व्यख–सा0 / 17 दिनांक 06 / 02 / 2019

"कार्यालय ज्ञाप"

विभिन्न कर्मचारी संगठनो द्वारा किये जाने वाले कार्य बहिष्कार एवं तदविषयक विभिन्न प्रकरणों में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा जनहित याचिका संख्या 115 / 2018 में पारित आदेश दिनांक 29.08.2018 में कतिपय दिशा निर्देश दिये गये हैं जो निम्नवत हैः–

Accordingly, we dispose of the writ petition at the admission stage by issuing the following directions:-

A. No employee in the state of Uttarakhand, serving under the State Government as well as Public Undertakings including Local Authorities, shall resort to illegal strike. We direct the State Government to invoke Section 3 of Act of 1966 as adopted by the State of Uttarakhand to prohibit strikes in certain employments by way of publication including Education, Public Health, Transport Service. Public Workds Department, Irrigation Department, Revenue Department etc.
B. The State Government is authorized to withdraw the recognition of service association in case the employees resort to illegal strikes.
C. We direct the State Government to impose penalty, as provided under Section 4 of the Act, on any person, who goes or otherwise takes part in any illegal strike.
D. The employees cannot hold the entire system to ransom. The employees, who resort to illegal strikes, are not entitled to salary. It shall be open to the State Government to order break-in-sevice of the employees resorting to illegal strikes. The period of willful absence can also be declared as dies non.
E. We also make it abundantly clear that in the case of illegal strike, it shall be open to the State Government to invoke 'No work No pay' principle in the larger public interest.
F. All the Service Association Federation shall not go on illegal strikes or go slow practice with a view to disturb or obstruct the smooth functioning of the Government.
G. Members of the Service Essentials are directed not to indulge directly or indirectly in any act so as to intimidate or obstruct or prevent any Government servant from attending office or carrying his official duties.
H. The State Government is directed to constitute Redressal Grievance Committees presided over by the Secretary, Head of Department of the respective Department with one nominee of the recognized. Association/Federation/Confederation, to address the genuine grievance(s) of the employees, within eight weeks from today. This Committee shall meet after every 3 months.

मा0 न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 280 / XXX–(2) / 2018 / 04 / का.–3 / 13 दिनांक 13.12.2018 एवं तत्क्रम में लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 08 / III (I) / 18–09 / (27) / सा0 / 18 दिनांक 02.01.2019 द्वारा जारी निर्देशो के अनुसार विभागाध्यक्ष कार्यालय स्तर पर प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता हैः–

1.	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष	(अध्यक्ष)
2.	मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)	(सदस्य)
3.	वित्त नियंत्रक	(सदस्य)
4.	वरिष्ठ स्टाफ अफिसर (अधिष्ठान)	(सदस्य)
5.	अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)	(सदस्य)
6.	सम्बन्धित संघ का एक नामित सदस्य	(सदस्य)

उपरोक्त समिति जनहित याचिका सं0 115 / 2018 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.08.2018 को पारित आदेशो में जारी दिशा निर्देशो के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करेगी।

I.T
Upload on 'Site'
06.02.19

(आर0सी0पुरोहित)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

क्रमशः 2 पर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, कार्मिक उत्तराखण्ड शासन को कार्मिक अनुभाग–2 के पत्र सं0 280/XXX–(2)/2018/ 04 /का.–2/13 दिनांक 13.12.2018 के क्रम में सूचनार्थ।
2. अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन को लो0नि0 अनुभाग–1 के पत्र सं0 08/ III (I)/18– 09 /(27)/सा0/18 दिनांक 02.01.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0,देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. वित्त नियंत्रक, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0,देहरादून।
6. वरिष्ठ स्टाफ अफिसर (अधिष्ठान) विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0,देहरादून।
7. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण) ..... वां वृत्त/विभागाध्यक्ष कार्यालय लोक निर्माण विभाग, ...।
8. अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान) विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0,देहरादून।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता ..... खण्ड, लो0नि0वि0,.....।
10. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0,देहरादून को इस ज्ञाप की प्रति को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने के निर्देशो के साथ प्रेषित।
11. लोक निर्माण विभाग के समस्त अधिकारी/कर्मचारी संघो को जनहित याचिका सं0 115/2018 में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.08.2018 एवं कार्मिक अनुभाग के पत्र सं0 280/XXX–(2)/ 2018/04/क.–2/13 दिनांक 13.12.2018 की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि अपने–अपने संघ के एक सदस्य को उक्त समिति हेतु नामित कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करे।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष